

शीतयुद्धोत्तर भारतीय उपमहाद्वीप और वाह्य शक्तियाँ



आशीष विक्रम सिंह
शोध अध्येता
रक्षा एवं स्नातेजिक अध्ययन विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद

सारांश

भारतीय उपमहाद्वीप खासकर भारत और पाकिस्तान में बाह्य शक्तियों की क्षेत्रीय उपस्थिति के सन्दर्भ में अनेक क्यास लगाये जाते हैं कि क्या इनकी उपस्थिति से क्षेत्रीय तनाव में वृद्धि हुई अथवा क्या इन शक्तियों के क्षेत्र से हट जाने पर दोनों देश आपसी तनावों का स्वयं ही कम कर सकेंगे। दक्षिण एशिया के सन्दर्भ में यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि क्या भारत और पाकिस्तान के मध्य लम्बे समय से ही चले आ रहे कटु सम्बन्धों के कारण महाशक्तियों को अपने राष्ट्रीय एवं विश्वव्यापी हितों को पोषित करने में सहायता मिली, क्या भारत और पाकिस्तान ने अपने-अपने सैनिक एवं आर्थिक हितों के लिए पूर्व में व्याप्त विश्वव्यापी शीतयुद्ध के वातावरण का लाभ उठाने का प्रयास किया। वास्तव में यह एक जटिल समस्या है कि पहले क्या हुआ हमारे बीच अविश्वास की उत्पत्ति या क्षेत्रीय समस्याओं में बड़े राष्ट्रों की प्रभाव वृद्धि भारतीय और पाकिस्तान प्रेक्षकों, नीति निर्धारकों एवं विद्वानों का मानना है कि बड़े राष्ट्रों के लिए भारत तथा पाकिस्तान दोनों की ही भू राजनीतिक परिस्थिति महत्वपूर्ण है तथा इन शक्तियों ने अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु इस महत्वपूर्ण स्थिति का पूरा-पूरा लाभ भी उठाया है। फिर भी उस विचार पर सामान्यतः सभी एक मत है कि भारत एवं पाकिस्तान में अविश्वास पहले उत्पन्न हुआ है और इस तंत्र में बड़ी शक्तियाँ उसके बाद ही सक्रिय हुई, और वाह्य शक्तियों का मुख्य उद्देश्य केवल छोटे राष्ट्रों को आर्थिक, राजनीतिक तथा सैनिक मदद देकर केवल अपना हित साधना था। शायद इसी का परिणाम रहा जो दोनों देशों पर पड़ा। यह भी कहा जा सकता है कि वाह्य शक्तियाँ संकट उत्पन्न करने का कारण नहीं बनती अपितु वे अपने हितों के लिए क्षेत्र की आन्तरिक गड़बड़ियों का इस्तेमाल करती है यद्यपि विश्व में किसी भी क्षेत्र में उनके हितों की उपेक्षा नहीं की जा सकती तथापि वे क्षेत्र स्वयं ही नहीं आ जाते। उनसे अधिकाधिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्राप्त क्षेत्रीय समस्याओं में वाह्य शक्तियों को स्वयं ही आमन्त्रित कर लेते हैं। चाहे भारत के साथ अमेरिका और सोवियत संघ का गठजोड़ या पाकिस्तान के साथ अमेरिका, चीन आदि का गठजोड़ हो।

मुख्य शब्द : हस्तक्षेप, क्षेत्रीय विवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, आणविक कार्यक्रम, रक्षा समझौते एवं आर्थिक सहायता।

प्रस्तावना

सोवियत संघ के विघटित होते ही विश्व-व्यवस्था में अचानक महत्वपूर्ण परिवर्तन आ गया। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद लगभग 45 वर्ष तक निबाध चले दो-ध्युमीय विश्वव्यापी शक्ति-संतुलन के सूत्र अब एक-ध्युमीय हो गये हैं और विश्व शक्ति-परिदृश्य में अमेरिका एकमात्र शक्तिशाली महाशक्ति रह गया है। फलस्वरूप बड़े स्तर की सैन्य-गुटबंदी पृष्ठभूमि में खिसक गई है और टकराव के स्थान पर शान्ति व सहयोग की बातें होने लगी हैं। वहीं 21वीं शताब्दी में वैशिक परिदृश्य में काफी बदलाव दिखाई देने लगा और महाशक्तियों ने अपने को इस परिदृश्य में ढालने का प्रयास भी किया क्योंकि विश्व एक ध्युमीय से बहुध्युमीय की ओर बढ़ने की संभावना दिखाई पड़ने लगी।

संयुक्त राज्य अमेरिका

शीतयुद्धोत्तर काल में अमेरिकी दृष्टिकोण में भी व्यापक बदलाव आया है। आज अमेरिका ऐसी विश्व-व्यवस्था लाना चाहता है। जिसमें उसके हित सर्वोपरि हो। वर्तमान परिस्थितियाँ उसे इसका मौका भी दे रही है। घरेलू मंदी की समस्या को सुलझाने के लिए अब वह विश्व के अनेक क्षेत्रों में अधिकाधिक आर्थिक निवेश के अवसर ढूँढ़ रहा है। दक्षिण एशिया क्षेत्र इस दृष्टि से अमेरिकी हितों के अनुकूल हैं किन्तु इसके लिए इस क्षेत्र की द्विपक्षीय समस्याओं एवं विवादों का स्थायी तौर पर सुलझाना अति आवश्यक है।

विगत वर्षों में कश्मीर समस्या पर अमेरिको दृष्टिकोण में सकारात्मक बदलाव आया है। अब वह इसे शांतिपूर्ण ढंग से स्थायी तौर पर शीघ्र सुलझायें जाने हेतु जोर डालने लगा है। इसके लिए वह 1991 से लगातार भारत को मुख्यतः दो मुद्दों पर दबाव में रखता आया है—कश्मीर और आणविक अस्त्र। ऐसा भी कहा जाता है कि वह कश्मीर का मुद्दा मात्र इसलिए उठाता रहा है जिससे भारत आणविक मसले पर अमेरिकी इच्छा मान ले। 1994 के आरम्भ तक विलंटन प्रशासन के कश्मीर—सम्बंधी रवैये के कारण भारत—अमेरिकी सम्बंधों में दरार पड़ गई थी। इसके पूर्व, बुश प्रशासन कश्मीर मसले पर भारत और पाकिस्तान को आपसी बातचीत के समर्थक थे और इससे भारत को अंतिम समाधान तक पहुँचने में सहायता मिल सकती थी, किन्तु विलंटन प्रशासन ने इस नीति को उलट डाला। मार्च 1993 में नई दिल्ली में अमेरिकी विदेश विभाग ने उपसचिव जॉन मैलट ने समूचे कश्मीर को ही विवादगस्त क्षेत्र बताकर भारत व पाकिस्तान को यह सलाह दी कि वे इसे बातचीत से सुलझाते समय कश्मीरी जनता के विचारों को भी ध्यान में रखें।

इस कार्य में उन्होंने अमेरिकी मदद की इच्छा भी प्रकट की। अक्टूबर 1993 में विदेश विभाग में उपसचिव रॉबिन रॉफेल ने वांशिगटन में बयान दिया कि “कश्मीर का भारत में विलय वाला मुद्दा ही विवादस्पद है” और शिमला समझौता इस मामले में उपयोगी नहीं सिद्ध हुआ है। किन्तु, बाद में अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र मानने से इन्कार करते हुए उसे साफ—सुधरा बताया। अप्रैल 1994 में, हालांकि स्ट्रोब टालबोट ने कश्मीर के द्विपक्षीय समाधान की बात कही। इसी प्रकार, भारतीय आणविक कार्यक्रम व मिसाइल प्रणाली के मुद्दों पर अमेरिका भारत को बाबर दबाव में डाले हुए है। अमेरिका दक्षिण एशिया को द्विपक्षीय आधार पर परमाणुशक्ति रहित करने में विफल रहा है और अब वह इस प्रयास को बहुपक्षीय बनाने में लगा है। परन्तु, अमेरिका को यह महसूस करना चाहिए कि भारत किसी बहुपक्षीय व्यवस्था में तब तक भागीदारी नहीं कर सकता जब तक कि यह व्यवस्था उन सभी राष्ट्रों को सम्मिलित करके नहीं बनाई जाती जिनके आणविक शस्त्रों की मारक परिधि में दक्षिण एशिया के देश आते हैं। इनमें पांच बड़े राष्ट्रों के साथ—साथ इजराइल व कजाखिस्तान भी शामिल हैं।¹ परन्तु, प्रधानमंत्री नरसिंहराव की मई 1994 की अमेरिका यात्रा में विलंटन ने स्पष्ट किया कि अमेरिका का भारत पर दबाव डालने का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका सम्बंधित देश की सुरक्षा में बढ़ोत्तरी करके परमाणु अप्रसार को बढ़ावा देना चाहता है न कि इस खतरे में डालकर। इस यात्रा में भारत को पर्याप्त अमेरिकी पूँजीनिवेश का आश्वासन मिला था जो 1994 में काफी सीमा तक कार्यरूप में भी परिणत हो चुका है।

प्रेसलर संशोधन के अंतर्गत पाकिस्तान पर लगाये गये अमेरिकी प्रतिबंधों को समाप्त न किये जाने की स्थिति में पाकिस्तानी प्रेक्षक अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के परमाणु शक्ति कार्यक्रम के प्रति कड़े रुख का अनुभव करते हैं। अब यह संभावना है कि पाकिस्तान को मिलती रहने वाली अमेरिकी सहायता कुछ महीनों में पूरी तरह से

बंद हो जाय। प्रेसलर संशोधन के स्त्रातेजिक प्रभाव विशेषकर पाकिस्तान द्वारा भारत की परमाणु क्षमता के संतुलन स्तर को प्राप्त करने तथा सामान्य तौर पर पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र पर पड़ेगा। क्षेत्रीय मुद्दों पर पाकिस्तान का दृष्टिकोण अनिवार्यतः दक्षिण एशिया में भेदभाव रहित परमाणु अप्रसार पर केन्द्रित हैं। साथ ही, वह परम्परागत सैन्य-शक्ति के लिए भी युक्तिसंगत संतुलन चाहता है। इस दृष्टि से पाकिस्तान लम्बे समय से द्विपक्षीय आधार पर भारत और समूचे दक्षिण एशिया क्षेत्र में अनेक प्रस्ताव लाकर परमाणु अप्रसार के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपना इरादा व्यक्त करता रहा है। साथ ही, वह एकपक्षीय आधार पर परमाणु कार्यक्रम समाप्त करने के प्रस्ताव पर दृढ़ रवैया अपनाये हुये हैं और अमेरिका को बताता रहा है कि यदि वह वास्तव में परमाणु मुद्दे पर अपनी विश्वसनीयता चाहता है तो इसे उसके लिए भारत पर भी कुछ दबाव डालना होगा। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि भारत ने ही 1974 में ऐसी परमाणु क्षमता प्रदर्शित की थी जिसके आधार पर विध्वंसकारी हथियार भी बनाये जा सकते हैं। दूसरी ओर, भारत प्रेसलर संशोधन की परिधि से बाहर रहने के कारण दक्षिण एशिया में पाकिस्तान को परमाणु क्षमता के क्षेत्र में बराबरी का दर्जा हासिल नहीं करने दे रहा है।²

सोवियत संघ

सोवियत विघटन के बाद भारत ने रूस से अपने मैत्रीपूर्ण सम्बंध जारी रखें हैं। बांग्लादेश के उद्भव से ठीक पहले हुई भारत—सोवियत मैत्री संधि के प्रावधानों का अनुपालन करने में रूस से तत्परता दिखाई है। यद्यपि, अब रूस की आर्थिक क्षमता पर्याप्त घटी है तथापि भारत—रूस सम्बंध संतोषजनक स्थिति में हैं। हालांकि, सोवियत संघ के साथ नवम्बर 1990 में सम्पन्न क्रायोजेनिक इंजन समझौते के अंतर्गत भारत को दो क्रायोजेनिक इंजन और तत्सम्बंधी प्रौद्योगिकी देने सम्बंधी समझौता मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण समूह के अंतर्गत, सम्प्रति, निष्प्रभावी कर दिया गया है। रूस के राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन ने अक्टूबर 2000 में चार दिन के लिए भारत की यात्रा की। भारत और रूस के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से चार महत्वपूर्ण समझौतों पर इस यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। भारतीय संसद की संयुक्त बैठक को सम्बोधित करते हुए पुतिन ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में विदेश हस्तक्षेप बन्द होना चाहिए। उन्होंने आतंकवाद से संघर्ष करने के लिए संयुक्त मोर्चा तैयार करने के भारत के प्रस्ताव का समर्थन किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उत्पन्न होने वाले आतंकवादी खतरे को रोकने के लिए भारत—रूस संयुक्त कार्यदल के गठन पर सहमति बनी।

दिसम्बर 2002 में रूसी राष्ट्रपति पुतिन की यात्रा के दौरान भारत एवं रूस के मध्य दिल्ली घोषणा पत्र एवं 8 अन्य समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। बौद्धिक सम्पदा अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण सम्झि इनमें शामिल है, जिससे दोनों देशों के बीच वैज्ञानिक सहयोग का काम तेज करने में मदद मिलेगी। रूस भी भारत व पाकिस्तान के आपसी विवादों को द्विपक्षीयता के आधार पर शांतिपूर्ण ढंग से विचार—विमर्श द्वारा सुलझाये जाने के पक्ष में हैं और किसी भी तरह के हस्तक्षेप के विरुद्ध है।

साम्यवादी चीन

भारत—चीन के प्रधानमंत्रियों ने नियंत्रण रेखा पर शांति और सौहार्द बनाये रखने के समझौते पर सितम्बर 1993 में हस्ताक्षर किये। इससे उनके बीच आगे की बातचीत का आधार बना है। यद्यपि, चीन—सम्बंधी कुछ बातें भारत की चिंता बढ़ाने वाली हैं क्योंकि चीन परमाणु कार्यक्रम के बारे में पाकिस्तान को महत्वपूर्ण जानकारी देता रहा है। इसके अभाव में पाकिस्तान अपनी वर्तमान परमाणु-क्षमता नहीं प्राप्त कर सकता था। चीन ने पाकिस्तान को एम-11 मिसाइलें दी हैं और इससे एम0 टी0 सी0 आर0 का उल्लंघन हुआ है जिसपर चीन ने भी हस्ताक्षर किये हैं। यद्यपि, चीन ने इसे शुद्ध व्यावसायिक सौदा कहा है जिसके द्वारा यदि भारत भी चाहे तो वह भी मिसाइलें हासिल कर सकता है। इसके अतिरिक्त, चीन की परमाणु शक्ति भी भारत के लिए चिंता का विषय है। तिब्बत में लगाये गये परमाणु अस्त्र मात्र भारत को चीन की शक्ति का आभास कराने के लिए ही हैं। इन्हें पश्चिमी देशों की ओर नहीं लगाया जा सकता। परमाणु अप्रसार संधि के मामले में पाश्चात्य देशों द्वारा दबाव डालने पर भी भारत सुरक्षा—संबंधी कारणों से इस पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहता और यह विचार व्यक्त करता है कि इसके लिए भारत पर चीनी परमाणु खतरे की दृष्टि से भी सोचा जाना चाहिए।

अब चीन भी कश्मीर के मसले और भारत व पाकिस्तान के मध्य विवाद के अन्य मुद्दों पर उनके बीच द्विपक्षीय विचार—विमर्श की बात करता है और अपने लिए इस मामले में किसी तरह की अन्यथा भूमिका नहीं देखता—कम से कम मध्यस्थ की तो बिल्कुल नहीं। इसी कारण, अपनी चीन यात्रा में बेनजीर भुट्टों इन मामलों पर चीन का समर्थन नहीं प्राप्त कर सकी; हालांकि, अन्य मामलों में चीन—पाकिस्तान मैत्री अभी भी प्रभावी है।

उद्देश्य

1. उपमहाद्वीप में भारत और पाकिस्तान दोनों की ही भू—राजनैतिक परिस्थिति महत्वपूर्ण है।
2. दक्षिण एशिया में भारत—पाकिस्तान के सन्दर्भ में महाशक्तियों के लिए सामरिक उद्देश्य का महत्व रखता है।
3. भारत—पाकिस्तान सम्बन्धों के आतंकवाद की समस्या से निपटने के लिए वाह्य शक्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।
4. भारत, पाकिस्तान को वाह्य शक्तियों के बिना प्रभाव में आये अपने समस्याओं का द्विपक्षीय समझौते द्वारा समाधान करना चाहिए।

5. उपमहाद्वीप में राष्ट्रीय सुरक्षा, राजनीतिक एवं आर्थिक हितों की अधिक महत्वा दी जानी चाहिए।

निष्कर्ष

स्वतन्त्र होने के बाद से ही भारत एवं पाकिस्तान एक दूसरे के विरुद्ध विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में संलग्न रहे और इस प्रकार, क्षेत्र के तनाव ग्रस्त बने रहने का कारण बने हुए हैं। दोनों देशों का नहीं वरन् जनता का भी दुर्भाग्य है क्योंकि ये सारी गतिविधियाँ जनता की खुशहाली की कीमत पर हो रही हैं। फिर भी विशिष्ट भू राजनीति वातावरण में राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीतिक, आर्थिक हितों की अधिक महत्वा दी जानी चाहिए। कभी—कभी विचारधारा, दीर्घकालीन आर्थिक हित एवं अन्य मूल्य राष्ट्रों के सुरक्षा—सम्बंधी हितों में समझ महत्वहीन हो जाते हैं। इसके साथ ही, राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित आवश्यकताओं को अत्यधिक उत्साहपूर्ण ढंग से पूरा करने की स्थिति पड़ोसी देश के साथ सम्बन्धों को कटु भी बना देती है। ऐसे द्वन्द्व सदैव क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर ही सीमित नहीं रहते। परिणामस्वरूप बाह्य शक्तियों को हथियारों की आपूर्ति एवं अनेक प्रकार की आर्थिक सहायता की आड़ में उस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर भी मिल जाता है ऐसे में भारत और पाकिस्तान को यह ध्यान रखते हुए बाह्य शक्तियों के बिना प्रभाव में आये अपने समस्याओं का द्विपक्षीय समझौते द्वारा समाधान करना चाहिए, जिससे ऐसी कोई समस्या न उत्पन्न हो कि दोनों देशों के सम्बन्धों पर इसका प्रभाव पड़े। ऐसा भी देखा जा रहा है कि उनके बीच चाहे अमेरिका हो या सोवियत संघ या चीन और फ्रांस सभी भारत और पाकिस्तान के विवाद खासकर कश्मीर की समस्या को द्विपक्षीय आधार पर शान्तिपूर्ण ढंग से विचार विमर्श द्वारा सुलझाने के पक्ष में रहे हैं और वे किसी तरह के हस्तक्षेप के विरुद्ध हैं।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. सतीश कुमार, “दि यू० एस० एंड दि इंडियन सिक्यूरिटी”, शीर्षक लेख जो 7 मई, 1994 के हिन्दू में प्रकाशित हुआ।
2. नेशन, 5 मार्च, 1994.
3. जे० एन० दीक्षित, “भारतीय विदेश नीति”, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2001.
4. डा० पुष्पेश पंत, श्री पाल जैन, डा० राखी पंचौला, “अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध”, मीनाक्षी प्रकाशन, मेरठ, 2013-14.
5. वर्ल्ड फोकस, सितम्बर, 2014.